

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(84)/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती मेरी बी.ए., महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सेवानिवृत्त) अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 16.08.2009 से 13.12.2009 तक 120 दिवस का उपाजित अवकाश।
2. दिनांक 14.12.2009 से 19.05.2010 तक 157 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(84)/2018/1103

दिनांक:- 01/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, करौली (जिला करौली)।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर